सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 250 राँची, गुरुवार

3 वैशाख, 1937 (श०)

23 अप्रैल, 2015 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

20 अप्रैल, 2015

कृपया पढ़े:-

1. उपायुक्त, दुमका का पत्रांक- 619/गो0, दिनांक 11 अप्रैल, 2011 एवं पत्रांक-134/गो0, दिनांक 24 जनवरी, 2012

2. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक-3939, दिनांक 14 जुलाई, 2011, पत्रांक-6327, दिनांक 12 अक्टूबर, 2011, संकल्प सं0-2089, दिनांक 02 मार्च, 2013 एवं संकल्प सं0-6641, दिनांक 24 मई, 2012 तथा पत्रांक-9830, दिनांक 07 सितम्बर, 2014

3. विभागीय जाँच पदाधिकारी-सह-संचालन पदाधिकारी का पत्रांक-222, दिनांक 17 अक्टूबर, 2012

संख्या- 5/आरोप-1-668/2014 का.-3575-- श्री सुधीर कुमार दास, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-741/03, गृह जिला- देवघर), अंचल अधिकारी, दुमका के पद पर कार्यावधि से संबंधित आरोपों हेतु प्रपत्र- 'क' में आरोप उपायुक्त, दुमका के पत्रांक- 619/गो0, दिनांक 11 अप्रैल, 2011 द्वारा प्राप्त है। प्रपत्र- 'क' में इनके विरूद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किये गये हैं-

1. मौजा-रहमतगंज, सर्किल-कुमराबाद, जिला-दुमका के खाता सं0-6 के अनाबादी दाग-104, 105, 106 एवं 107 तथा खाता-5/126 खास मालिक के दाग नं0-97 एवं 98 की कुल-05-15-11 धूर जमीन की बन्दोबस्ती श्री आनन्द गुटगुटिया, गिलानपाड़ा, दुमका के साथ करने की अनुशंसा अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका को भेजी गयी, जो संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की धारा-28 के विरूद्ध है, क्योंकि श्री गुटगुटिया न तो मौजा रहमतगंज के निवासी हैं और न ही भूमिहीन। इस प्रकार श्री दास द्वारा जानबूझ कर संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की धारा-28 का उल्लंघन किया गया है ।

2. खाता नं0-6, दाग नं0-107 जो गत् सर्वे खतियान में जंगल साल दर्ज है, उसकी भी बन्दोबस्ती श्री गुटगुटिया के साथ करने की अनुशंसा की गयी। जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में ऐसी जमीन की बन्दोबस्ती वर्जित है ।

3. मौजा-रहमतगंज के दाग सं0-102 एवं 103 की भूमि मयूराक्षी परियोजना के लिए अधिग्रहित है एवं इसका मुआवजा पूर्व में पंचारी कार्तिक महतो वो महाराज महतो वो देवी महतो वो रजी महतो द्वारा प्राप्त किया जा चुका है। श्री गुटगुटिया द्वारा इस भूमि का किये गये क्रय को आधार मानते हुए उन्हें उक्त मौजा का जमाबंदी रैयत मान लिया गया। जबकि इसका खतियानी मिलान तथा स्थानीय जाँच की जानी चाहिए थी लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं समझते हुए गलत प्रतिवेदन समर्पित करना आरोपी पदाधिकारी की गलत मंशा दर्शाता है ।

4. श्री गुटगुटिया को बन्दोबस्ती हेतु प्रस्तावित दाग सं0-97 एवं 98 की जमीन को उनके द्वारा क्रय की दाग सं0-102 एवं 103 की जमीन के सटे हुए दिखलाया गया है जबकि वास्तव में दाग सं0-97 एवं 98 की जमीन क्रय की गयी जमीन से काफी दुरी पर अवस्थित है। इस प्रकार आरोपी पदाधिकारी द्वारा गलत प्रतिवेदन देकर उच्चाधिकारी को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया गया है ।

5. जमीन बन्दोबस्ती के पूर्व मौजा के 16 आना रैयतों की आपत्ति आमंत्रित करते हुए नोटिस का तामिला ढोल सोहरत के साथ विधिवत् किया जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया है और इस प्रकार संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान की अनदेखी की गयी है ।

उक्त प्रतिवेदित आरोपों के लिए श्री दास से विभागीय पत्रांक-3939, दिनांक 14 जुलाई, 2011 द्वारा स्पष्टीकरण की माँग की गयी, जिसके अनुपालन में इनके पत्रांक-681, दिनांक 01 अगस्त, 2011 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। तत्पश्चात् श्री दास के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-6327, दिनांक 12 अक्टूबर, 2011 द्वारा उपायुक्त, दुमका से मंतव्य की माँग की गयी। उपायुक्त, दुमका के पत्रांक-134/गो0, दिनांक 24 जनवरी, 2012 द्वारा श्री दास के स्पष्टीकरण पर मंतव्य उपलब्ध कराया गया, जिसमें श्री दास से प्राप्त स्पष्टीकरण को असंतोषजनक मानते हुए इसे स्वीकार योग्य नहीं बताया गया ।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय संकल्प सं0-2089, दिनांक 02 मार्च, 2013 द्वारा श्री दास के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें श्री पंकज कुमार मिश्र, झा0प्र0से0 (सेवानिवृत), विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, टाऊन एडमिनीशट्रेशन बिल्डिंग, एच0ई0सी0, गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया ।

तत्पश्चात् विभागीय संकल्प सं0-6641, दिनांक 24 मई, 2012 द्वारा श्री पंकज कुमार मिश्र, झा0प्र0से0 (सेवानिवृत), विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, टाऊन एडमिनीशट्रेशन बिल्डिंग, एच0ई0सी0, गोलचक्कर, धुर्वा, राँची के स्थान पर श्री श्याम सुन्दर प्रसाद, सेवानिवृत भा0प्र0से0, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, टाऊन एडमिनीशट्रेशन बिल्डिंग, एच0ई0सी0, गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया ।

श्री श्याम सुन्दर प्रसाद, सेवानिवृत भा0प्र0से0, विभागीय जाँच पदाधिकारी- सह-संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-222, दिनांक 17 अक्टूबर, 2012 द्वारा श्री दास के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित कर जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें उल्लेख है कि- ''श्री दास ने संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की धारा-28 के तहत् अपेक्षित बिन्दुओं पर प्रतिवेदन समर्पित नहीं करने की भूल अवश्य की है, जिससे यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि भूमि बन्दोबस्ती के आवेदनकर्ता श्री आनन्द गुटगुटिया बन्दोबस्ती प्राप्त करने की अर्हताएँ रखते हैं या नहीं। लेकिन यह भी विचारणीय है कि इसी अस्पष्ट प्रतिवेदन को आधार मानकर बन्दोबस्ती की अग्रतर कार्रवाई की गयी। आरोप के अन्य बिन्दुओं पर उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के साक्ष्यों से समर्थित एवं तर्क संगत माना जा सकता है ।''

जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त आरोप सं0-1, 2, 3 एवं 4 श्री दास के विरूद्ध प्रमाणित पाया गया है एवं इसके लिए श्री दास को निन्दन एवं तीन वेतनवृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक का दण्ड देने हेतु प्रस्तावित किया गया। उक्त प्रस्तावित दण्ड के लिए विभागीय पत्रांक-9830, दिनांक

07 सितम्बर, 2014 द्वारा श्री दास से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी, जिसके अनुपालन में इनके द्वारा निम्न उत्तर समर्पित किया गया है:-

1. आरोपी पदाधिकारी का कहना है कि अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा पारित आदेश, जिसमें उनके द्वारा भी उल्लेख किया गया है कि अंचल अधिकारी ने नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु अनुशंसा किया है। नियमों की समीक्षा न्यायालय से होना है। SPT Act का उल्लेख कर नियमानुसार कार्रवाई करने हेतु अनुंशसा करना इनका दायित्व था। अनुमंडल पदाधिकारी का न्यायालय इसकी समीक्षा के लिए सक्षम पदाधिकारी थे एवं उनके न्यायालय से बगैर प्रक्रिया के इस वाद को निष्पादित कर दिया गया। बाद में उपायुक्त के न्यायालय में अपील वाद के तहत् इसकी विस्तृत समीक्षा की गयी एवं निम्न न्यायालय के आदेश को निरस्त कर बन्दोबस्ती रद्द कर दी गयी। श्री दास का कहना है कि इस बिन्दु पर भी समीक्षा करने की आवश्यकता है कि किसी बन्दोबस्त भू-खण्ड के रैयत को तब तक उसका मालिकाना हक प्राप्त नहीं होता जब तक उस भू-खण्ड की लगान रसीद निर्गत नहीं हो जाता। जब अनुमंडल पदाधिकारी के न्यायालय से आवेदन भूमि बन्दोबस्त कराने में सफल हो गये तो उनके द्वारा बन्दोबस्त भू-खण्ड का जमाबंदी कायम करने एवं लगान रसीद निर्गत करने हेतु अंचल कार्यालय से अथक प्रयास किया गया, परन्तु श्री दास द्वारा न तो जमाबंदी कायम किया गया न ही लगान रसीद निर्गत कराया गया। श्री दास का कहना है कि यदि इनकी मंशा आवेदक को लाभ पहुँचाने का होता तो यह सब भी अवश्य हो जाता परन्तु बाद में अपील वाद के तहत् उनकी बन्दोबस्ती भी रद्द हो गयी ।

श्री दास का अनुरोध है कि SPT Act का उल्लंघन कर आवेदक को लाभ पहुँचाने अथवा भूमि बन्दोबस्ती करा देने का आरोप इनपर नहीं बनता है ।

2. श्री दास का कहना है कि संचालन पदाधिकारी के द्वारा समीक्षा के क्रम में आरोप सं0-2 पर उनके स्पष्टीकरण विचारणीय प्रतिवेदित किया गया है। खतियान का अभिरक्षक राजस्व कर्मचारी है तथा खतियान देखकर राजस्व कर्मचारी भूमि का किस्म प्रतिवेदित करते हैं, जिसका अंचल निरीक्षक क्रॉस चेकिंग करते हैं तथा अंचल अमीन के द्वारा नक्शा को ट्रेस किया जाता है। संचालन पदाधिकारी ने श्री दास के स्पष्टीकरण की सत्यता पर समीक्षा कर स्पष्ट किया है कि भूमि के संदर्भ में प्रतिवेदन समर्पित करने में श्री दास ने कोई भूल नहीं की है। श्री दास ने आरोप सं0-2 पर पुनः एक साक्ष्य सूचना अधिकार अधिनियम से प्राप्त कर संलग्न किया है, जिसमें स्पष्ट है कि इस मौजा का खतियान भी जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है तथा भूमि का किस्म प्रतिवेदित करने में राजस्व कर्मचारी अभिलेखागार की सहायता लेते हैं ।

3. श्री दास का आरोप सं0-3 के संबंध में कहना है कि संचालन पदाधिकारी के द्वारा उन्हें आरोप मुक्त पाया गया है ।

श्री दास ने जाँच प्रतिवेदन में आवेदक को जमाबंदी रैयत नहीं बल्कि पंजी- II का रैयत प्रतिवेदित किया है। जाँच प्रतिवेदन में वही तथ्य है, जो दस्तावेज कह करा है ।

4. श्री दास ने स्पष्ट किया है कि प्रतिवेदन में निहित बातें स्थानीय कर्मचारी/अंचल निरीक्षक/अंचल अमीन के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर ही अंकित किया गया है। जब सूचना अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत इस संदर्भ में अंचल कार्यालय में आवेदन दिया गया तो अंचल अधिकारी ने अंचल अमीन से जमीन की मापी कराकर मुझे सूचना उपलब्ध कराया। प्राप्त सूचना संबंधी साक्ष्य में स्पष्ट उल्लेख है कि दाग नं0-102 एवं 103 की भूमि दाग नं0-104, 105, 106 एवं 107 से सटा हुआ है। सिर्फ दाग नं0-97 एवं 98 की भूमि की दूरी दाग नं0-102 एवं 103 से महज 100 मीटर की दूरी पर है, यह भी सत्य है कि अन्य दाग नम्बर की भूमि से यह सटा हुआ है ।

श्री दास के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनसे प्राप्त स्पष्टीकरण, संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन एवं इनके द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब की समीक्षा की गई। समीक्षा से स्पष्ट होता है कि जमाबंदी कायम नहीं करने तथा लगान रसीद निर्गत नहीं करने से आरोपी पदाधिकारी द्वारा बंदोबस्ती हेतु की गयी गलत अनुशंसा की गम्भीरता कम नहीं हो जाती है। इनकी अनुशंसा के कारण भूमि की गलत बन्दोबस्ती हुई। उपायुक्त, दुमका द्वारा भूमि अपील वाद में बन्दोबस्ती को रद्द किये जाने का लाभ आरोपी पदाधिकारी को नहीं दिया जा सकता है। अतः श्री दास के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1930 के नियम-49 (i) एवं (ii) के आलोक में निम्नांकित दण्ड इन पर अधिरोपित किया जाता है:-

(1) दो वेतनवृद्धियों पर संचयात्मक प्रभाव से रोक एवं

(2) निन्दन

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
प्रमोद कुमार तिवारी,
सरकार के उप सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 250—50 ।